जूनी इंदौर चिंतामण गणेश मंदिर

मोबाइल पर कॉल सुनकर देश-विदेश के लोगों की चिंता हरते हैं चिंतामण गणेश

इंदौर। इंदौर के जूनी स्थित श्री चिंतामण गणेश मंदिर का इतिहास 1200 साल पुराना है। यहां आज भक्त वीडियो कॉल और फोन के जरिए अर्जी लगाते हैं। जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब यहां चिट्ठियों के माध्यम से अर्जी लगती थी। आज भी हर बुधवार को इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगती है। देश के कोने-कोने से लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहां पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और चिट्ठी से मोबाइल वाले गणेशजी का इतिहास...

1200 वर्ष पहले परमार वंश के राजाओं ने की थी स्थापना

औरंगजेब भी झुका

मंदिर के 90 वर्षीय पुजारी मनोहरलाल पाठक ने बताया कि वे दसवीं पीढ़ी से हैं। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का काफी प्रयास किया था, लेकिन भगवान का चमत्कार ऐसा हुआ कि उसने केवल मंदिर का ताला तोड़ा और बिना कुछ किए यहां पर शीश झुकाकर चला गया।

क्या है यहां का इतिहास

1200 वर्ष पहले मालवा क्षेत्र में परमार वंश के राजाओं का राज था और वे भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। इस मंदिर की स्थापना भी परमार वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। सरस्वती नदी के तट के किनारे यह मंदिर स्थापित है। परमार राजाओं ने धार को अपनी राजधानी बनाया था और इंदौर से होकर ही धार पहुंचते थे। व्यापार भी इसी मार्ग से होता था, जिसकी समृद्धि के लिए चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी। यहां अक्सर वे पूजन-हवन राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया करते थे। बाद में मल्हारराव होलकर इंदौर के शासक बने। उन्होंने भी यहां उपासना जारी रखी। इसी परंपरा को महारानी माता अहिल्याबाई ने भी कायम रखा। वे अक्सर राजवाड़ा से यहां नाव में बैठकर पूजा के लिए आया करती थीं, क्योंकि पूर्व में सरस्वती नदी का स्वरूप विशाल था, जो वर्तमान में बहुत सिमट चुका है।

यह है मान्यता

मंदिर के मुख्य पुजारी मनोहरलाल पाठक ने बताया कि दस पीढ़ियों से गणेशजी की सेवा करते आ रहे हैं। इन्हें चिट्ठी वाले गणेश के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, इंदौर का एक भक्त जर्मनी में जाकर बस गया था और वहां से वह लगातार भगवान के नाम चिट्ठी लिखता था। साल 2005 में उसी भक्त ने मंदिर के पुजारी के मोबाइल नंबर पर कॉल किया और कहा कि अब वह फोन के जरिए चिंतामण गणेश तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तभी से यहां पर दूरदराज रहने वाले भक्तों ने मोबाइल कॉल के जरिए अर्जी लगानी शुरू कर दी। जिसे भी अपनी अर्जी लगानी होती है वह अपने रिश्तेदार को बोलकर मंदिर में वीडियो कॉल कराकर अर्जी लगाता है।

मंदिर की अन्य विशेषताएं

- मंदिर काले पाषणकालीन पत्थरों से बना है।
- गणेश मंदिर में भगवान अभय मुद्रा में बैठे हैं।
- गर्भगृह के बाहर जय और विजय पहरा दे रहे हैं।
- देश के साथ ही विदेश में भी लोग मनाते हैं।

कंटेंट : प्रभा उपाध्याय, फोटो : विशाल चौधरी, डिजाइनर : हितेश वैष्णव

दस दिवसीय गणेशोत्सव में हर दिन भजन संध्या, 12-13 को वीर तेजाजी की कथा होगी

डांडिया गरबा खेलते नजर आए मरीमाता चौराहा के सिद्ध विजय गणेश, उमड़ा भक्तों का सैलाब

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 7879619664

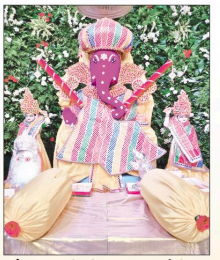

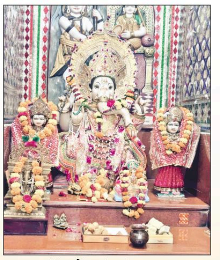

मरीमाता चौराहा स्थित श्री सिद्ध विजय गणेश मंदिर पर मंगलवार शाम को सिद्ध विजय गणेश डांडिया रास गरबा खेलते नजर आए। नित्य नूतन श्रृंगार की श्रृंखला में गणेशजी को गुजराती पगड़ी और पोशाक पहनाकर हाथों में डांडिया थमाकर गरबा रास करते हुए दिखाया गया था। मंदिर पर प्रतिदिन भक्तों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। अनेक विशिष्ट अतिथि आकर सिद्ध विजय गणेश की पूजा-अर्चना भी कर रहे हैं। श्रृंगार दर्शन के पूर्व 11 विद्वानों ने मेवा-मिष्ठान्न का भोग समर्पित कर महोत्सव का शुभारंभ किया।

संयोजक एवं विधायक गोलू शुक्ला ने बताया कि मंदिर पर रात 8 से 11 बजे तक भक्तिभाव का अनुपम नजारा देखने को मिल रहा है। आज रात्रि को सरिता शर्मा एवं अशोक पांचाल ग्रुप की भजन संध्या ने हजारों भक्तों को थिरकाए रखा। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेंद्र शुक्ला, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, क्षेत्र के पार्षदों एवं दीपेंद्रसिंह सोलंकी ने भजन गायकों का स्वागत किया। मंदिर आने वाले भक्तों को दर्शन करने में आधे घंटे से अधिक का समय नहीं लग रहा है। मंदिर पर बुधवार, 11 सितंबर को रात 9 बजे लक्ष्मी पांडे मथुरावाली की भजन संध्या होगी तथा 12 एवं 13 सितंबर को उज्जैन के प्रख्यात पीरू पहलवान और साथियों द्वारा वीर तेजाजी की कथा का दो दिवसीय आयोजन होगा। 14 को श्रद्धा साई भजन मंडली के सुमित मधुराज, 15 को कविता यादव, 16 को जय रणजीत भजन मंडल के सतीश शर्मा काका की भजन संध्या और 17 सितंबर को शर्मा बंधु की भजन संध्या होगी।

रिद्धि-सिद्धि के साथ विराजे श्री गणेश

इंदौर। नवरतन बाग स्थित श्री विजय मारुति हनुमान मंदिर में महंत मंगलदास महाराज खाकी के सान्निध्य में 10 दिवसीय गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।

मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि मंदिर में गणेशजी रिद्धि-सिद्धि के साथ विराजे हैं। साथ में अन्नपूर्णा माता हैं और शंकरजी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूरी मूर्ति सफेद मार्बल में है। मीना राणा शाह ने बताया कि राधा सुशील उपाध्याय के निर्देशन में रोजाना शाम को 7 बजे आरती होती है और मोदक का भोग लगता है। उत्सव में बड़ी संख्या में गणेश भक्त शामिल होते हैं।

दूसरों के साथ छल-कपट और धोखा देने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से धोखा करता है : मुनिश्री प्रमाण सागरजी

इंदौर। मोक्ष मार्ग सहजता और सरलता का मार्ग है। संत का मन बच्चे के समान निश्छल होता है। उसके मन में छल-कपट, तिकड़म या कुटिलता जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग तो गुरुओं के साथ भी तिकड़म लगाने से नहीं चूकते। यह ज्ञान का दुरुपयोग एवं प्रज्ञा अपराध है, जो भव-भव में आत्मा को भटकाती है।

उक्त विचार मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज ने रेसकोर्स रोड स्थित मोहता भवन में श्रावक-श्राविकाओं को श्रावक संस्कार शिविर के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म पर प्रवचनों की अमृतवर्षा करते हुए व्यक्त किए। मुनिश्री ने कहा कि व्यक्ति जैसा अंदर से होता है बाहर से भी वैसा हो यह जरूरी नहीं। आजकल व्यक्ति काल्पनिक जीवन जीता है और जैसा अपने आपको मान रखा है, वैसा अपने आपको दिखाना चाहता है। इसी काल्पनिक छवि को मेंटेन करने के लिए दूसरों को धोखा देता है। मुनिश्री ने कहा कि यह उसकी भूल है। दूसरों के साथ छल-कपट और धोखा देने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने आपसे धोखा करता है। उन्होंने कहा कि दूसरे की आंख में तो तुम बाद में धूल झोंकोगे पहले उसके कण तो आपकी आंखों में ही जाएंगे। मुनिश्री ने कहा कि व्यक्ति पहले स्वयं को धोखा देता है। इसके बाद स्वजनों को धोखा देता है, इसके बाद वह संतों को भी नहीं छोड़ता तथा समाज को भी धोखा देकर रफूचक्कर हो जाता है। मुनिश्री ने कहा कि ध्यान रखना है जब पोलपट्टी खुलती है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है।

धर्म प्रभावना समिति एवं प्रचार प्रमुख राहुल जैन (स्पोर्ट्स वर्ल्ड), नवीन-आनंद गोधा, अशोक-रानी दोषी, हर्ष जैन एवं प्रवक्ता अविनाश जैन ने बताया कि मुनि संघान सागर महाराज ने संबोधन देते हुए कहा कि मन में हो सो बचन उचरिए वचन होये सो तन सौ करिये। इन दो पंक्तियों में ही आज के पूरे प्रवचन का सार छुपा है।

जनसुनवाई : निगमायुक्त की संवेदनशीलता, बोले- व्यवसाय बंद है, बच्चों की फीस हम जमा करवाएंगे

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584460010

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने जहां बीमारी के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की तो दूसरी ओर नगर निगम जनसुनवाई में आयुक्त शिवम वर्मा ने स्कूल फीस जमा करने के साथ अन्य सहायता की गई।

एमओएस शेड अनुमति नहीं देंगे- निगम आयुक्त वर्मा की जनसुनवाई में दीनदयाल उपाध्याय नगर सुखलिया में रहने वाली कल्याणी पटेल और गोपीकिशन पटेल ने एमओएस में किए गए अवैध निर्माण को पुनः टीन शेड के माध्यम से कवर करने की अनुमति मांगी। इस पर आयुक्त ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कल्याणी पटेल ने बताया कि व्यवसाय बंद होने से बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर आयुक्त वर्मा ने दोनों बच्चों को फीस स्वयं भरने की बात कही और बताया कि अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

खुले में नहीं बेच सकते मांस- निपानिया क्षेत्र में खुले में फुटपाथ पर मांस बेचने की अनुमति मांगने विक्रेताजन सुनवाई में पहुंचे, जबकि निगम ने रहवासियों की शिकायत पर यहां कार्रवाई की थी। जनसुनवाई में दोनों पक्ष पहुंचे। इस दौरान दोनों ने अपने तर्क रखे। निगम आयुक्त ने कहा- खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं दी सकती। वहीं जनसुनवाई में हेलमेट साथ लेकर आने वाले युवा की तारीफ निगम आयुक्त की। उन्होंने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप जागरूक हैं इसके लिए आपका सम्मान होना चाहिए।

इन्हें दी सहायता- कलेक्टर आशीष सिंह ने दक्ष रावल को 20 हजार रु., नजमुद्दीन देवासवाला को 5 हजार रुपए, कलावती बाबूलाल को 10 हजार रुपए, सुशीला जरिया को 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। इसी तरह तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए रामश्री पति स्वर्गीय रमेश को 25 हजार मंजूर किए। तनुश्री यादव को शिक्षा के लिए 25 हजार, गीता भाटी को रोजगार के लिए 10 हजार, रुखसाना पति शमसुद्दीन को 15 हजार की मदद घर मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए। जनसुनवाई में आवास, शिक्षा और रोजगार के लिए मदद संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। वहीं सम्पत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद के मामले में भी आवेदक आए।

अस्पतालों में मरीजों के पास एक ही परिजन की अनुमति

इंदौर। जिले में अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। अस्पताल के ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर वहां पर रोशनी की व्यवस्था करना एवं सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी करना अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। ये निर्देश मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों के परिसर में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। साथ ही कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल उपकरण (लगाया जाए जिससे किसी भी घटना में आसानी से समाधान निकाला जा सके। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में रात के समय में मरीज के पास एक ही परिजन के रहने अनुमति होगी।

हंसदास मठ पर 25वां निःशुल्क तर्पण अनुष्ठान 18 से, आज शाम बैठक

इंदौर। श्राद्ध एवं पितृ पक्ष में पिछले 24 वर्षों से लगातार निःशुल्क तर्पण कराने वाली संस्था श्रद्धासुमन सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आचार्य पं. पवन तिवारी के निर्देशन में निःशुल्क तर्पण अनुष्ठान आयोजित करने और उसकी रूपरेखा तय करने हेतु 11 सितंबर को सायं 5 बजे हंसदास मठ पर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरणदासजी एवं पवनदासजी के सान्निध्य में आयोजन समिति की बैठक रखी गई है। समिति के संयोजक हरि अग्रवाल, महासचिव डॉ. चेतन सेठिया एवं कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर समिति के संस्थापक ब्रह्मलीन मोहनलाल सोनी के निधन स्वरूप पुण्य स्मरण सभा भी होगी।

परिजनों का आरोप : डॉक्टर की लापरवाही से जान जोखिम में

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9009585701

मंगलवार को जनसुनवाई में परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर केस बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मरीज के परिजन ने बताया कि उनकी बहन प्रिया वर्मा के पेट में दर्द था। इसके चलते उसे मालवा मिल स्थित आईबीएफ अस्पताल में डॉ. मोनिका वर्मा को दिखाया था। जहां डॉक्टर ने पेट में 8 इंच की पानी की गठान होने के बात कही थी, जिसका आधे घंटे में लेजर से ऑपरेशन करने की बात कही थी। ऑपरेशन में करीब ढाई घंटे से ज्यादा का समय हो गया। इस बीच बहन की हालत खराब हो गई और डॉक्टर बिना हमें सूचना दिए शैल्बी हॉस्पिटल ले गए। यहां से उसे कार्डियक अरेस्ट आया। तीन से चार दिन तक अस्पताल में रखा। पैसे खत्म होने के बाद उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉ. बीएस सैत्या ने जांच समिति गठित कर दी है।

मरीज को मिला नया जीवन

सर्जरी सफल रही है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद मरीज को कार्डियक अरेस्ट आ गया था। बिना समय बर्बाद दिए हम उसे अपनी गाड़ी में नजदीकी अस्पताल शैल्बी ले गए। वहां मरीज को नया जीवन मिला है। साथ ही परिजन ने कहा कि उनके पास आईसीयू के लिए राशि नहीं है। जिस पर वह राशि भी दी गई है। मरीज की हालत ठीक होने को बाद उसे एमवाय अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया है। उसकी हालत ठीक है और टांके भी सूख रहे हैं।

-**डॉ मोनिका वर्मा**, एमटीएच अस्पताल

गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जवाहर टेकरी का निरीक्षण

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584460010

शहर के विभिन्न स्थानों से निगम द्वारा एकत्रित गणेश प्रतिमाओं का धार रोड जवाहर टेकरी पर एकत्रित वर्षाजल में विधि-विधान से 18 सितंबर को ससम्मान विसर्जन किए जाने को लेकर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा- पीओपी की प्रतिमाओं का विसर्जन ससम्मान जवाहर टेकरी पर किया जाएगा। वहीं मिट्टी की प्रतिमाएं पर्यावरण हितैषी कुंड में विसर्जित करने की व्यवस्था शहर में की जाएगी। प्रतिमा से प्राप्त मिट्टी को निगम के उद्यान में पौधों के आसपास रखा जाएगा। उन्होंने जवाहर टेकरी के मुख्य मार्ग से विसर्जन स्थल तक संपर्क रोड को व्यवस्थित करने, विसर्जन स्थल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के क्रम में बैरिकेडिंग लगाने, पर्याप्त सफाई व्यवस्था एवं विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा हेतु तैराक रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ऐसे होगा प्रतिमाओं का विर्सजन

नगर निगम आयुक्त वर्मा ने बताया कि नई तकनीक से हाइड्रोलिक प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है। उक्त प्लेटफार्म में सर्वप्रथम एकत्रित गणेश प्रतिमा को रखा जाएगा। उसके पश्चात हाइड्रोलिक प्लेटफार्म को मशीन के माध्यम से एकत्रित वर्षाजल में उतारा जाएगा, जब हाइड्रोलिक प्लेटफार्म जल के सतह पर अंदर की ओर जाएगा तो उक्त हाइड्रोलिक प्लेटफार्म का निचला हिस्सा कंट्रोल सिस्टम से खुल जाएगा और उक्त हाइड्रोलिक प्लेटफार्म में रखी गणेश प्रतिमाएं तालाब की सतह से पानी में विसर्जित हो जाएंगी।

ADITYA BIRLA CAPITAL प्रोटेक्टींग इन्वेस्टींग फाईनेंस एडवाइसिंग
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266
शाखा कार्यालय: आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बेंचमार्क बिजनेस पार्क, 5वीं मंजिल, ब्लॉक नंबर ए-3, स्कीम नंबर 54- पीयू-4, सत्य साई स्कूल के सामने, विजय नगर, इंदौर — 452010

बिक्री सूचना
[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का नियम 9(1)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के तहत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को प्रभारित अचल संपत्ति की निजी संधि द्वारा बिक्री।
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे "एबीएचएफएल" कहा जाएगा) का अधिकृत अधिकारी होने के नाते नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्लॉट संख्या 23-ए, प्लॉट संख्या 23 के पूर्वी भाग, "नेचर वेली", ग्राम जामली, तहसील: महू, जिला: इंदौर मध्य प्रदेश-452001 में स्थित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। परिमाप एरिया 420 वर्ग फीट, और इस प्रकार घिरा हुआ: - पूर्व: प्लॉट संख्या 46, पश्चिम: इस प्लॉट संख्या 23 का शेष भाग, उत्तर: कॉलोनी रोड, दक्षिण: प्लॉट संख्या 24" (जिसे आगे "सुरक्षित परिसंपत्ति" कहा जाएगा) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "सरफेसी अधिनियम, 2002" कहा जाएगा) की धारा 13(4) के अंतर्गत जो वित्तीय सुविधा के लिए एबीएचएफएल के पक्ष में सुरक्षित है, उसका बकाया 10.10.2023 तक रु. 13,15,960.25/- (रुपये तेरह लाख पंद्रह हजार नौ सौ साठ और पच्चीस पैसे मात्र) तथा वसूली की तिथि तक उस पर हुए ब्याज और अन्य व्यय उधारकर्ताओं/सह-जगदीश कलमे, किशन कलमे, ग्यारसी बाई (जिन्हें आगे "उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता" कहा जाएगा) को देय है। कि सुरक्षित परिसंपत्ति की सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी के विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी यह दायित्व स्वीकार करता है कि वह सुरक्षित परिसंपत्ति की सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सरफेसी अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करना। प्राधिकृत अधिकारी को उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की खरीद के लिए एक संभावित खरीदार से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अब, प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के अनुसार निजी संधि द्वारा उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति को बेचने के लिए नोटिस दे रहे हैं। बिक्री "जहां है, जैसा है" के आधार पर, "जो है, जैसा है" और "जो भी है" के आधार पर 30.09-2024 को या उसके बाद की जाएगी, ताकि उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं से ABHFL को देय 10.10.2023 तक रु. 13,15,960.25/- (रुपये तेरह लाख पंद्रह हजार नौ सौ साठ और पच्चीस पैसे मात्र) की वसूली की जा सके। सुरक्षित संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 9,00,000/- (रुपये नौ लाख मात्र) निर्धारित किया गया है। उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और ABHFL अब सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत निर्धारित निजी संधि के माध्यम से यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति की बिक्री को प्रभावित करके अपने सुरक्षा हित को लागू करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं का ध्यान उक्त सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 11-09-2024
स्थान : इंदौर
अधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

JM FINANCIAL जेएम फायनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कार्पोरेट आइडेंटिफाई नम्बर: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत ऑफिस : 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठा मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400 025,
संपर्क व्यक्ति: 1. गौरव श्रीवास्तव-9479942515, 2. विशाल केतेले-9584966653 3. सिंदुजा पिल्लई -022-62241676
Website — www.jmfinancialarc.com
ई-नीलामी बिक्री सूचना-आगामी बिक्री

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने धारा 5(1)(बी) के तहत सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज के साथ अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। जेएमएफएआरसी (जेएम) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 ("असाइनमेंट एग्रीमेंट") के एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") का प्रवर्तन। (यहां असाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी-अरण्या-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। सूचित किया जाता है कि PCHFL को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।
उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि यहां बताया गया है, जो कब्जे में है, 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो है वह है के आधार पर', जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी 10%)	कुल बकाया राशि (05-09-2024)
ऋण कोड संख्या: 00800013712 और 00800007529, इंदौर-विजय नगर (शाखा), मनदीप चौहान (उधारकर्ता), उमा चौहान (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांक: 28-06-2021, रु. 4,39,771/- (रु. चार लाख उनतालीस हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) एवं दिनांक: 28-06-2021, रु. 1,99,051/- (रु. एक लाख निन्यानबे हजार इक्यावन मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:- प्लॉट नंबर 01, 2वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 214, "हरि दर्शन अपार्टमेंट", ग्राम नेनोद, शहर "श्री रामकमल रेसीडेंसी" इंदौर मध्य प्रदेश इन 452001 सीमाएं:- उत्तर: फ्लैट नंबर 215 और 216 दक्षिण: फ्लैट नंबर 213 पूर्व: ओपन डक पश्चिम: कॉमन पैसेज	रु. 3,64,500/- (रु. तीन लाख चौसठ हजार पांच सौ मात्र)	रु. 36,450/- (रु. छत्तीस हजार चार सौ पचास मात्र)	रु. 7,58,073/- (रु. सात लाख अट्ठावन हजार तिहत्तर मात्र) एवं रु. 3,65,011/- (रु. तीन लाख पैंसठ हजार ग्यारह मात्र)

ई-नीलामी दिनांक : 30-09-2024, 11.00 से 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि-27-09-2024, 4 बजे से पहले
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale OR https://www.bankauctions.in.
सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधक को वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना
उपरोक्त उल्लिखित ऋणी/गारंटर/एतद्द्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से करने के लिए देखा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बेचा जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा

दिनांक: 11 सितम्बर, 2024
स्थान: म प्र
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य-ट्रस्ट)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन (म.प्र.)
कार्यालय दुरभाष क्रमांक 07282-233498 ई-मेल cmhokhr@nic.in
क्र./एनएचएम/2024/13957 खरगोन, दिनांक 06.09.2024
-: द्वितीय ई निविदा सूचना :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन खरगोन अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैठकों / स्वास्थ्य शिविर / वर्कशॉप आदि हेतु चाय / नाश्ता / लंच पैकेट / बुफे की न्यूनतम दर प्राप्त किये जाने एवं योग्य सेवा प्रदाता के चयन हेतु द्वितीय ई निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर एवं इस कार्यालय के सूचना पटल पर देखे जा सकते है।
निविदा प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1	निविदा आमंत्रण (आर.एफ.पी) की उपलब्धता	12.09.2024 से 02.10.2024 तक ऑनलाईन शुल्क राशि रूपये 500/- प्रति निविदा जमा कर विभाग की वेबसाइट https://mptenders.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते है।
2	निविदा पूर्व (प्री-प्रपोजल) कान्फ्रेंस हेतु दिनांक समय एवं स्थान	दिनांक 18.09.2024, समय दोपहर 2.30 बजे स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन।
3	ई-निविदा में ऑनलाईन भाग लेने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 02.10.2024 सायं 4.00 बजे तक ।
4	निविदा खोलने की अंतिम तिथि समय एवं स्थान	दिनांक 03.10.2024, सायं 5.00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन।
5	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक	वित्तीय निविदा खोले जाने की सूचना पृथक से सूचना पत्र / मोबाईल / पोर्टल के माध्यम तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदाकारो को प्रदान की जावेगी ।

जी-16019/24
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला खरगोन